न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 594 सन 2020

अनवान :–

1. दुर्गाराम पुत्र बुद्धराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कुलदीप पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
3. सन्दीप पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
4. भगवन्त पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
5. रधुवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
6. दमयन्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

8. रामदुलारी धर्मपत्नी दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 की कुल 17.1610हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता कृष्ण व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति ओमप्रकाश ने 11.10 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 19.04.1990 को बेचान कर दी तथा 11.10 बीधा वादी को दिनांक 19.4.1990 को बेचान कर दी गई मुताबिक बैयनामा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 कुल 23 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उक्त बैयनामा के अनुसार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी एवं तरतीती प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 22.बीधा 2–2/3 बीधा अर्थात 5.5997हैक भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ने 5.819हैक भूमि खरीद की गई थी अर्थात 0.3190हैक भूमि कम दर्ज कर दी गई जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से से कम करवाई जाकर अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 में से वादी के चारणवासी माईनर में 4.09 बीधा भूमि गई थी जो चारणवासी माईनर के नाम दर्ज है वादी ने उक्त नहर आने से पूर्व भूमि खरीद की है इसलिये बैयनामा के अनुसार कम दर्ज की गई भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से से कम की जाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी/तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज भूमि में से 0.2277हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उनके द्वारा जरिये बेयनामा दिनांक 19.04.1990 को वादी को 11.10 बीधा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 को 11.10 बीधा कुल 5.5997हैक भूमि का बेचान किया गया था परन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय बैयनामा दिनांक 19.04.1990 से 0.2277हैक भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम सहवन से कम दर्ज कर दी जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से से कम की जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम बैयनामा अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 की कुल 17.1610हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता कृष्ण व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति ओमप्रकाश ने 11.10 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 19.04.1990 को बेचान कर दी तथा 11.10 बीधा वादी को दिनांक 19.4.1990 को बेचान कर दी गई मुताबिक बैयनामा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 कुल 23 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उक्त बैयनामा के अनुसार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी एवं तरतीती प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 22.बीधा 2–2/3 बीधा अर्थात 5.5997हैक भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ने 5.819हैक भूमि खरीद की गई थी अर्थात 0.3190हैक भूमि कम दर्ज कर दी गई जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से से कम करवाई जाकर अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 की कुल 17.1610हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता कृष्ण व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति ओमप्रकाश से 11.10 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ने तथा 11.10 बीधा वादी ने दिनांक 19.4.1990 को जरिये रजिस्टर बैयनामा खरीद की गई थी अर्थात कुल 5.819हैक भूमि खरीद की गई थी

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम कुल 5.5997हैक

भूमि दर्ज कर दी अर्थात 0.2277हैक भूमि कम दर्ज कर दी जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 बैयनामा अनुसार अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को 5.819हैक भूमि बेचान की गई थी सहवन से राजस्व रिकार्ड में 0.2277हैक भूमि कम दर्ज हुई है जिसे उनके हिस्से से कम की जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

कोई भी काश्तकार सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय कम दर्ज की गई भूमि को आपसी सहमति से बैयनामा अनुसर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 की की कुल 17.1610हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से 0.2277हैक बहिब भूमि कम जाकर वादी 2.74215 हैक एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 का 2.74215हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दुर्गाराम पुत्र बुद्धराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कमला पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कुलदीप पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
3. सन्दीप पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
4. भगवन्त पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
5. रधुवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
6. दमयन्ती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बेहरवाला तहसील टिब्बी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

8. रामदुलारी धर्मपत्नी दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 594 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/02/2024

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 327/327 की की कुल 17.1610हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से 0.2277हैक बहिब भूमि कम जाकर वादी 2.74215 हैक एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 का 2.74215हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)